न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

वाद सख्या .....60 / 2013....

1. श्री नाथूलाल पुत्र स्व. श्री गणेश जी रेगर
2. श्री प्रभुलाल पुत्र स्व. श्री गणेश जी रेगर
   दोनो जाति –रेगर एवं निवासीगण –रेगरान मौहल्ला मसूदा, तहसील– मसूदा, जिला अजमेर।
3. श्री लालाराम पुत्र स्व. श्री गणेश जी रेगर निवासी ग्राम– रेबारियों की ढाणी मसूदा, तहसील–मसूदा, जिला अजमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र श्री बालू जी रेगर
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री बालू जी रेगर
   दोनो निवासीगण नया बस स्टैण्ड रामगढ़ चौराहा मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
3. शंकरलाल पुत्र श्री बालू जी रेगर निवासी नया बस स्टैण्ड रामगढ़ चौराहा मसूदा जिला अजमेर हाल निवासी जी. आर. पी. कार्यालय अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय मसूदा, तहसील–मसूदा, जिला अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं
धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 12.07.2016

वादीगण ने इस वाद मे साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम भगवानपुरा पटवार क्षेत्र देवमाली भू.अ.नि. क्षेत्र एव तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित अराजी ख.न0 386 रकबा 03–10–00 किस्म बारानी 2 को इनमे रहे खातेदारान सर्व स्व0 श्री रतनलाल, मिश्रीलाल पिता लालू जी जाति रेगर ने दिनाक 19.04.1976 को वादीगण के पिता स्व0 श्री गणेश पुत्र हुक्मा जी जाति रेगर को बेचान कर उपपजियक महोदय, ब्यावर के समक्ष उपस्थित हाकर रजिस्ट्री करवा दी थी तब से केता गणेशजी काबिज चले आते रहे उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण काबिज चले आ रहे है । लेकिन राजस्व अभिलेख मे आज भी बेचानकर्ता का नाम चली आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा ने भी दिनाक 08.06.1989 को वादीगण के पक्ष मे बेचान पत्र के आधार राजस्व अभिलेख मे अमल किये जाने की सहमति देने पर भी विवादित आराजी वादीगण के नाम नही लगाई गई है। अतः वाद लाने की आवश्यकता हुई है। वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी मे खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को वादी की आराजी मे दखलबाजी से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे ।

प्रतिवादी स0 1 व 3 ने अपने प्रतिवाद पत्र मे निवेदन किया है कि विवादित आराजी ख.न. 386 से उत्तरकर्तागण कोई सम्बन्ध एव सरोकार नही है । इसे वादीगण के नाम लगा दी जावे तो इन्हे कोई

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

एतराज नही है । उत्तरकर्तागण की आराजी ख0न0 381 रकबा 2–16–00 बीघा है इसी पर वे काबिज चले आ रहे है राजस्व कर्मियो की गलती से यह तफावत हुई है । उत्तरकर्तागण ने ख0न0 381 अपने नाम लगवाने के लिए एक राजस्व वाद अजनाम मोहनलाल व अन्य बनाम राज0 सरकार व अन्य से किया हुआ है । अतःउत्तरकर्तागण के नाम ख0न0 381 व वादीगण के नाम 386 की आराजी लगाई जावे ।

प्रतिवादी स0 4 के अपने प्रतिवाद पत्र मे निवेदन किया है कि खसरा न0 386 रकबा 3–10–00 बालू वल्द कज्जा की खातेदारी मे है तथा ख0न0 381 रकबा 2–16–00 भूमि रतना वल्द लालू के नाम दर्ज है पक्षकारान ख. नं0 386 वादीगण के नाम लगाने पर सहमत है ।

पक्षकारान आज न्याय आपके द्वार कैम्प मु. देवमाली पर असालतन वकालतन उपस्थित हुए और उन्होने आम सहमति से विवादित आराजी को पक्षकारान के नाम लगा देने का एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया एसी ही एक सहमति दिनाक 10.05.2016 को पक्षकारान ने पत्रावली की आदेशिका पर अकित की है। लेकिन अभिलेख एवं विक्रय पत्र दिनांक 19.04.1976 इसके सर्वथा विपरीत है। विक्रय पत्र मे विवादित आराजी रतनलाल, मिश्रीलाल एव मीठूलाल पिता लालू ने वादीगण के पिता गणेश को बेची है, जबकि इसमे खातेदार ही नही है । उनकी खातेदारी की आराजी के ख.न. 381 है । इसी प्रकार नामान्तरण सख्या 7 को विक्रय पत्र दिनाक 19.02.1974के आधार पर खातेदार लाल वल्द काना के स्थान पर बालू वल्द कज्जा के नाम विवादित आराजी ख.न. 386 बाबत् स्वीकृत किया गया है इसमे मूल खातेदार बालू था उसी के पुत्रान को इसमे प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है । फिर भी पक्षकारान आज जूबे जलसा आम मे सहमत है जिनकी पहचान सरपच, ग्राम पचायत देवमाली एव वकील वादीगण ने की ऐसी स्थति मे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि वादीगण को विवादित आराजी में खातेदार घोषित किया जाना उपयुक्त है भले ही यह न्यायिक प्रकिया के विपरीत हो ।

अतः वाद पत्र पक्षकारान की सहमती पर आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा बहक वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को ग्राम भगवानपुरा भू.अ.नि. एवं तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0न0 386 रकबा 3–10–00 बीघा मे खातेदार काश्तकार घोषत किया जाता है और तहसीलदार मसूदा पर आदेश पारित किये जाते है कि सर्व प्रथम स्व बालू वल्द कज्जा के वारिसान को अभिलेख पर लिया जावे तदुपर्रान्त उनके स्थान पर वादीगण के नाम का जरिए नामान्तकरण राजस्व अभिलेख मे अमल करवाया जावे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञ वादीगण की विवादित आराजी मे दखल अन्दाजी से निषेध किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12.07..2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम देवमाली पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.14 11:32:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: